

१३

प्रपत्र-२

कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा सीकर

क्रमांक:- जिशिअ / प्राशि. / सी / मान्यता / आरटीई / २०१४ / १५७० दिनांक:- ०८.७.१४

अध्यक्ष / प्रबंधक.

प्रबंध समिति.

श्रीमती इंद्रलोकानन्द लेडमी लोसाल

विषय:- नियम ४-के उप-नियम (4)के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता

प्रमाणपत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन दिनांक ३०.६.१३ और इस संबंध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार / निरीक्षण के संदर्भ में, मैं श्रीमती इंद्रलोकानन्द लेडमी लोसाल (विद्यालय का नाम और पता) को से तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा १ से ५ तक के लिए अन्तर्रिम मान्यता मंजूर करता है।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ती के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-८ से आगे मान्यता / सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्भृत नहीं होगी।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा-१ में या यथास्थिति पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र-संख्या की सीमा तक आस पड़ौस के कमजोर वर्ग और अमाव ग्रस्त समूह से संबंधित बालकों को प्रवेश देना और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
- पैरा -3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसाइटी / विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता -पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
- विद्यालय आयु के सबूत के अमाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की घारा 15. के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि:-
 - (A) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,
 - (B) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा,
 - (C) किसी बालक से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा,
 - (D) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा-अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा,
 - (E) 2009 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्योग्यता / विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को समिलित किया जाये,
 - (F) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की घारा 23 की उप-घारा (1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित मर्ती किये जायें, परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर

(2)

- न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबंधों के अनुसार 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- (G) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1)के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, और
- (H) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापक कियाकलापों में नहीं लगायेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे।
8. विद्यालय 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
- (1) विद्यालय परिसर का क्षेत्र 6100 Sq.mtr (2) कुल निर्मित क्षेत्र 4200 Sq. ft.
- (3) खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र 4600 Sq.Mtr (4) कक्ष के कमरों की संख्या 19
- (5) प्रधानाध्यापक एवं कार्यालय एवं मंडार कक्ष 85 Sq.mtr
- (6) लड़के और लड़कियों के लिए पृथक-पृथक शौचघर 15 Sq.mtr
- (7) पीने के पानी की सुविधा 15 Sq.mtr (8) बिड-डे भील पकाने के लिए रसोईघर 15 Sq.mtr
- (9) अवरोध विज्ञता सामग्री/खेल-कूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता 15 Sq.mtr
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
11. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं.28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्त्वगत प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
12. विद्यालय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी चार्टड एकाउंटेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।
14. आपके विद्यालय को आंवटित मान्यता कोड संख्या D.T.R. 146 है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।
15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देना जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में वृद्धियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा जारी किये जाये।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
17. अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा, सीकर

जितेन्द्र रणवां
(संचित
प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति
शेखावाटी इन्डोनेशियन एकेडमी
लोमल (सीकर) राज.

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा, सीकर

Nirmal
Principal
Shukhawati International Academy
Losal (Sikar) Raj.

Undertaking

(For running Bal Vatika I,II & III)

At present my School

Shekhawati International Academy

is not running Bal Vatika for Pre-Primary. I hereby undertake to start Bal Vatika I ,

II & III as per Board's circular no : Circular No. 12/2023 dated : 24.03.2023 w.e.f

the session from which the affiliation is granted .

Principal's Name Mrs. Manisha Verma.

Signature




Stamp

Principal
Shekhawati International Academy
Losal (Sikar) Raj.

Manager's Name Jitendra Pawar

Signature



Stamp

(जितेन्द्र पावर)
सचिव
प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति
शेखावाटी इंटरनेशनल एकडमी
लोसल (सीकर) राज.